न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान हरविन्द्र सिंह आदि बनाम लखा सिंह आदि

प्रकरण संख्या 62 / 2022 अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 5 CPC

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर पक्ष जो इस आ पालना में
12/5/25	अधिवक्तागण उपस्थित। शेष अप्रार्थी की तलबी हेतु सम्मन, तलबाना पेश नहीं समय चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 16/06/25 को पेश हो।	
16/06/25	बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 16/7/25 को पेश हो Kamal	
16/7/25	अधिवक्तागण उपस्थित। शेष अप्रार्थी की तलबी हेतु सम्मन, तलबाना पेश हो। तलबी पंजीकृत डाक से करवाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19/8/25 को पेश हो।	
19/8/25	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस, तलबाना पेश नहीं किया है। पूर्व में कई अवसर दिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण न्याय प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है। न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5, 9 CPC अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निणीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)